क्रम संख्या–66

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 10 जुलाई, 2017 ई0

आषाढ़ 19, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 279/XXXVI (3)/2017/421/36(1)/2006

देहरादून, 10 जुलाई, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2017" पर दिनांक 30 जून, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2017)

[भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, वर्ष 1971) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (भ) की प्रविष्टि (74) के पश्चात् एक नयी प्रविष्टि (75) अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

(75) "पर्वतीय चकबंदी सलाहकार समिति"।

आज्ञा से,

भारत भूषण पाण्डेय,
अपर सचिव।

No. 279/XXXVI(3)/2017/421/36(1)/2006
Dated Dehradun, July 10, 2017

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill, 2017'** (Adhiniyam Sankhya 12 of 2017).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 June, 2017.

THE UTTARAKHAND STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) (AMENDMENT) ACT, 2017

(Uttarakhand Act no. 12 of 2017)

[Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-eighth Year of the Republic of India]

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act No. 15 of 1971) to the context of the State of Uttarakhand.

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 3

2. After entry number (74) of clause (x) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand), the entry number (75) shall be inserted as follows, namely--

"(75) Parvatiya Chakbandi Salahkaar Samiti,"

By Order,

BHARAT BHUSHAN PANDEY,
Additional Secretary.

407/17

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 यथावत् लागू है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इस अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (भ) में प्रविष्टि संख्या (74) के पश्चात् एक नयी प्रविष्टि (75) पर्वतीय चकबंदी सलाहकार समिति के रूप में अंतःस्थापित कर दी जाय।

2–प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधायी/395–2017–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।